न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/86/2016

वउनवान

1. छोटेलाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी मन्याकाबास तहसील कठूमर

——— वादी

बनाम

1. गौपाल पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी मन्याका बास तहसील कठूमर

——— प्रतिवादी

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री भागचन्द जैन एडवोकेट : वकील वादी

प्रतिवादी स्वंय उप0

निर्णय

दिनांक 04.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 565 रकवा 0.25 हे. ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी पर वादी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी से प्रतिवादी का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी जबर्दस्त किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन वादी के कब्जे काश्त खेत बोने जोतने फसल काटने समेटने में बाधा पैदा करता है तथा विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करने की धमकी देता है। जवकि प्रतिवादी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी अपने नापांक ईरादों में कामयाव हो गया तो वादी को अपार हानि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। इस वजह से दावा वादी वावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। वादी व प्रतिवादी कैम्प कोर्ट/लोक अदालत में हाजिर आये। वादी ने अपने वयान पी डब्ल्यू 1 के रूप में दर्ज कराते हुये वयान किया कि विवादित आराजी का मैं खातेदार काश्तकार हूॅ। उक्त आराजी पर मैं काविज रहकर काश्त करता हूॅ। प्रतिवादी उक्त आराजी के मेरे कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है तथा जवरन कब्जा करने की धमकी देता है। इस वजह से मैंने प्रतिवादी को पाबन्द कराने के लिये अदालत श्रीमान में दावा पेश किया है।

प्रतिवादी गोपाल ने अपने डी डब्ल्यू 1 के रूप में अपने वयान लेखवद्व कराये है तथा सशपथ वयान किया कि वादी छोटेलाल ने मेरे विरूद्व खसरा नम्बर 565 वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर वावत दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। उक्त आराजी वादी छोटेलाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिससे मेरा कोई बास्ता नहीं है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 वाके ग्राम रोनीजाथान की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

पक्षकारान को सुना गया। विवादित आराजी जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 वाके ग्राम रोनीजाथान में वादी की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी से अपना कोई बास्ता नहीं होना वयानों में कथन किया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में नकल जमाबन्दी हाल के अवलोकन से दावा वादी सावित है वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर565 रकवा 0.25 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

तहसील कठूमर में वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करे। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर

आज दिनांक 04.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/86/2016

वउनवान

1. छोटेलाल पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी मन्याकाबास
   तहसील कठूमर

------ डिक्रीदार

बनाम

1. गौपाल पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी मन्याका बास तहसील कठूमर

----- मदयून

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर565 रकवा 0.25 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करे। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे।

आज दिनांक 04.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner